विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 13 मार्च, 2012 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 51वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की इक्यानवीं (51वीं) बैठक डा. राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 13 मार्च, 2012 को पूर्वाहन 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 587 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से इस समय 380 एसईजेड अधिसूचित हो गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,49,630.82 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 8,15,308 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, एसईजेड से 3,15,867.85 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2009-10 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 43.11 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक (अर्थात 31 दिसंबर, 2011 तक) कुल 2,60,972.89 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है।

मद संख्या 51.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) ग्राम टिकगरिटा, बादशा और बंदनगर्दा, सुपर कोरिडोर के पास, इंदौर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश में 52.643 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 31 जनवरी, 12 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने 52.643 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम टिकगरिटा, बादशा और बंदनगर्दा, सुपर कोरिडोर के पास, इंदौर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) ग्राम कालाहल्ली, नांजनगुड तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायोटेक (फर्मा) के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जुबिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आसुक्त ने प्रस्ताव की जांच नहीं की है। तद्नुसार मामले को आस्थगित कर दिया गया।

(iii) ग्राम कनाडिया, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में 14.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रुचि रियल्टी होल्डिंग्स लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 29 फरवरी, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 14.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम कनाडिया, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रुचि रियल्टी होल्डिंग्स लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) ग्राम मंजरी बुद्रक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 11.50675 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 07 मार्च, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 11.50675 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम मंजरी बुद्रक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 51.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के प्रस्तावों के साथ पट्टा विलेख / प्रारूप विलेख संलग्न होना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ विकासक एवं प्रस्तावित सह विकासक के बीच वित्तीय लेनदेन / व्यवस्था का ब्यौरा होना चाहिए। प्रस्तावों पर निर्णय निम्नानुसार हैं :

(i) लंधैकुलम गांव, मदुरै, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स चेल्ला साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को जांच करने का निदेश दिया कि क्या आवेदक की एसईजेड में कोई यूनिट है तथा उपयुक्त सिफारिश प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया। तद्नुसार मामले को आस्थगित कर दिया गया।

(ii) तालुक खेड एवं शिरूर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स खेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक का दर्जा प्रदान किए जाने पर एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत लाभों को प्राप्त करने के अलावा मैसर्स खेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड संभवत: वस्त्र मंत्रालय से सब्सिडी भी प्राप्त करेगा। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यह डबल डिपिंग हो सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने वस्त्र मंत्रालय से इस मामले में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया तथा प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

(iii) राचेनहल्ली एवं नगवारा गांव, होबली, आउटर रिंग रोड, जिला बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में भवनों एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iv) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीपीएल) का अनुरोध

डीजीईपी ने अपनी पिछली आपत्ति को दोहराते हुए कहा कि चूंकि एसईजेड में 4 कंटेनर टर्मिनल पहले से ही प्रचालन में हैं इसलिए एक और टर्मिनल स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि ऐसे प्रस्तावों को केवल गैर आर्थिक लाभप्रदता के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब निजी विकासक द्वारा निवेश किया जा रहा है। विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि प्रस्तावित साइट के निरीक्षण के बाद इस बात की पुष्टि की गई है कि उक्त भूमि अनुमोदित एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र का हिस्सा है। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, मुंद्रा को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया जिसमें उपयोग की क्षमता आदि सहित मौजूदा सीटीएस की स्थिति का उल्लेख हो। तद्नुसार फाइल पर वाणिज्य विभाग द्वारा निर्णीत किए जाने के लिए मामला आस्थगित कर दिया गया।

(v) ग्राम फिरोज़पुर और रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट सोलर लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स आईएलएंडएफएस टाउनशिप एंड अर्बन असेट्स लिमिटेड (आईटीयूएएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 3 मिलियन वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए **मैसर्स आईएलएंडएफएस टाउनशिप एंड अर्बन असेट्स लिमिटेड** (आईटीयूएएल) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(vi) ग्राम भगान और कुरार इब्राहिमपुर, मुरथल, सोनीपत, हरियाणा में मैसर्स अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स शक्तिभोग फूड्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 101.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स शक्तिभोग फूड्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(vii) चंडका औद्योगिक संपदा, भुवनेश्वसर, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (ओआईआईडीसी) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स माइंड ट्री लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 20 एकड़ (8.094 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स माइंड ट्री लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 51.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) ग्राम फिरोजपुर एवं रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में बहु सेवा के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने प्रसंस्करण / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

प्रसंस्करण क्षेत्र में

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का का नाम	यूनिटों की	यथालागू एफएसआई मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल

		संख्या		
(i)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संरचना सहित एलिवेटेड वॉकवे	--	लंबाई औसतन 5000 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर	50000 वर्गमीटर
2.	ट्रैवेलेटर्स	--	लंबाई औसतन 2500 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर	12500 वर्गमीटर
3.	पुल	1	1000 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर
4.	वाटर फाउंटेन	2	--	--
5.	पंपिंग स्टेशन	1	--	--
6.	सर्विस ट्रेंच	--	लंबाई औसतन 5000 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर	50000 वर्गमीटर

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में

क्र. सं.	**अधिकृत गतिविधि का का नाम**	**यूनिटों की संख्या**	**यथालागू एफएसआई मानदंडों के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**कुल क्षेत्रफल**
(i)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संरचना सहित एलिवेटेड वॉकवे	--	लंबाई औसतन 5000 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर	50000 वर्गमीटर
2.	ट्रैवेलेटर्स	--	लंबाई औसतन 2500 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर	12500 वर्गमीटर
3.	पुल	1	1250 वर्गमीटर	1250 वर्गमीटर
4.	वाटर फाउंटेन	2	--	--
5.	पंपिंग स्टेशन	1	--	--
6.	हेलीपैड	1	11500 वर्गमीटर	11500 वर्गमीटर
7.	एयर कंडीशनिंग सिस्टम	1	--	69000 टन का रेफ्रिजरेशन
8.	सर्विस ट्रेंच	--	लंबाई औसतन 5000 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर	50000 वर्गमीटर

(ii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीपीएल) का अनुरोध

51.2(iv) पर निर्णय के आलोक में अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया। वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले का निर्णय किया जाएगा।

(iii) डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में भवन संख्या 14 के रूफ टॉप पर हेलीपैड के निर्माण के विकासक के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सुविधा का प्रयोग केवल एसईजेड के प्रचालनों के लिए किया जाएगा।

मद संख्या 51.4: एसईजेड में कार्यपालकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधा सृजित करने के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझीकोड को स्थान आवंटित करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स इनफोपार्क जो केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में 12500 वर्गफीट के निर्मित स्थान को ऑफ कैंपस सुविधा के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), कोझीकोड को पट्टा पर देने के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। तथापि, यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(i) प्रशिक्षण सुविधा की स्थापना तथा इसका प्रचालन किसी ड्यूटी / कर छूट के लिए पात्र नहीं होगा।
(ii) प्रशिक्षण सुविधा केवल एसईजेड की यूनिटों, सह विकासक तथा विकासक के कर्मचारियों के लिए होगी :
(iii) सुविधा इनफो पार्क के चरण 2 के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में उस समय शिफ्ट की जाएगी जब यह अधिभोग के लिए तैयार हो जाएगा।

मद संख्या 51.5 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) गांव गौड़काशीपुर एवं अरिसल, तहसील जतनी, जिला खुर्द, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने प्रचालन के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उनके प्रचालन के क्षेत्र में 5.069 एकड़ (2.06 एकड़) की वृद्धि करने के लिए सह विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे उनके प्रचालन का कुल क्षेत्रफल 50.919 एकड़ (20.605 हेक्टेयर) हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने के अधीन है।

(ii) ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर निर्माण सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि में वृद्धि के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड में 23.6585 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 56.9130 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने के अधीन है।

(iii) ग्राम चिंतावरम, चिल्लाक्रु मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में वस्त्र एवं परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती मैसर्स एमएएस फेब्रिक पार्क्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने क्रमश: एसईजेड में 18.12 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि और एसईजेड से 150.78 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स एमएएस फेब्रिक पार्क्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 102.41 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

मद संख्या 51.6 : तीसरे से पांचवें साल के बाद औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) झुंड सराय वीरन और भंगरोला पटौदी रोड, गुड़गांव, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सनसिटी हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 नवंबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) श्रीपेरम्बदूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2012 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स वेलांकनि टेक्नोलॉजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 मई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) पुथुवयुपीन, एर्नाकुलम जिला, केरल में पोर्ट आधारित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 अप्रैल, 2012 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 17 अप्रैल, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) द्रोणगिरी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 29 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(v) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vi) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में मल्टी सर्विसेज के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vii) नंबर 51, शोलिंगानल्लूर गांव, पुराना महाबलिपुरम रोड, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए

गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स हासिंडा इंफोटेक एंड रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ करते हुए 24 अक्टूबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि इसके बाद वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

(viii) गौड़काशीपुर तथा एरिसल गांव, तहसील जतनी, जिला खुर्दा, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम (इडको) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ करते हुए 24 अक्टूबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि इसके बाद वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

(ix) ग्राम भुर्कामुंडा एवं भागकीपल्ली, तहसील एवं जिला झर्सूगुडा, उड़ीसा में 1215 मेगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट के साथ एल्युमिनियम के निर्माण और निर्यात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ करते हुए 22 मई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(x) दीमापुर, नागालैंड में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 11 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए नागालैंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ करते हुए 11 अक्टूबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xi) कोकापेट गांव, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ करते हुए 22 अक्टूबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 51.7 : छठें साल के बाद यूनिटों के औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) प्लॉट नंबर टीजेड-06, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 6 अप्रैल, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि इसके बाद वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

मद संख्या 51.8 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) जगतसिंहपुर जिला, उड़ीसा में 1620.496 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 अक्टूबर, 2012 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 51.9 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) कालापट्टी गांव, कोयंबटूर, तमिलनाडु में 24.055 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बन्नारी टेक्नो पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने कालापट्टी गांव, कोयंबटूर, तमिलनाडु में 24.055 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बन्नारी टेक्नो पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(ii) लोट परशुराम, जिला रत्नगिरि, महाराष्ट्र में 141.6920 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने लोट परशुराम, जिला रत्नगिरि, महाराष्ट्र में 141.6920 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(iii) वालुज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 100.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने वालुज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 100.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 51.10 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

ग्राम घोटावाडे, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विभू डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने ग्राम घोटावाडे, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 28.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स विभू डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने यथास्थिति एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन कोई ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त नहीं किया है या उसने प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 51.11 : तीसरे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

27 अगस्त 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मोजर बेयर सोलर लिमिटेड जो ओर्गाडम, तमिलनाडु में सिपकॉट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 27 अगस्त, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि इसके बाद वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

मद संख्या 51.12 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 27 फरवरी 2012 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स फुलक्रम लाजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा फेज 2, हिंजेवाड़ी, पुणे में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 27 फरवरी, 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 4 फरवरी 2012 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आई गेट पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स लिमिटेड, जो महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा फेज 2, हिंजेवाड़ी, पुणे में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 04 फरवरी, 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) 23 अप्रैल 2012 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 23 अप्रैल, 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) 27 मार्च 2012 के बाद मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एक्सएल एनर्जी लिमिटेड जो रवीरयाला गांव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एफएबी सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे सेमी कंडक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 27 मार्च, 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(v) 5 मार्च 2012 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड, जो उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम (इडको) द्वारा भुवनेश्वर, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 5 सितंबर, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 51.13: चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 13 मार्च 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स यूरोसर्किट इंडिया लिमिटेड जो गांधीनगर, गुजरात में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा इलेक्ट्रानिक के लिए विकसित किए गए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 31 जुलाई, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 8 जून, 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सहलोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो सूरत अपैरल पार्क - एसईजेड, साचिन, सूरत, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ करते हुए 31 जून, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि इसके बाद वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

(iii) 29 मई 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 29 मई, 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि इसके बाद वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

मद संख्या 51.14 : छः साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

9 फरवरी, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जैश फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, जो सूरत एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ करते हुए 31 जुलाई, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 51.15 : प्रतिबंधित / निषिद्ध मद के आयात के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स कैरन इंडिया लिमिटेड जो डीटीए की यूनिट है, से क्रूड ऑयल के प्रापण के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो जामनगर, गुजरात में मैसर्स रिलायंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि विदेश व्यापार नीति के अनुसार एसटीई अर्थात आईओसी के माध्यम से कच्चे तेल का निर्यात अनुमत है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स कैरन इंडिया

द्वारा जिस निर्यात की अनुमति की आवश्यकता है उससे संबंधित मुद्दे के लिए वे डीजीएफटी से संपर्क कर चुके हैं तथा आईओसी के पास गए बगैर सीधे अपने कच्चे तेल के निर्यात के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड ने मामले को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त को आवश्यक होने पर अनुमोदन बोर्ड के समक्ष लाने का निदेश दिया।

(ii) जिला अमरेली, गुजरात में मैसर्स ई-कम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट मैसर्स पिपावाव डिफेंस एंड आफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने एजेंडा के अनुबंध 3 और 4 में निषिद्ध / प्रतिबंधित के रूप में सूचीबद्ध मदों की खरीद के लिए यूनिट के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि यूनिट डीआईपीपी तथा रक्षा मंत्रालय सहित सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों से अनुमोदन प्राप्त करेगी और ऐसी मदों का आयात करने से पूर्व सभी अपेक्षित विनियामक अनुमोदन भी प्राप्त करेगी।

(iii) एफटीडब्ल्यूजेड के निर्धारित क्षेत्र में कार्गो के स्वामियों की ओर से वनस्पति तेल के आयात, भंडारण एवं पुन: निर्यात के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध किया कि निषिद्ध / प्रतिबंधित मदों का व्यापार शामिल होने के अलावा यह अनुरोध एसईजेड विकासक की ओर से आया है जबकि केवल एसईजेड यूनिट के लिए अनुमत होने पर ऐसी गतिविधियां अनुमत हैं। अत: अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(iv) "फेरो मैगनीज स्लैग" जो प्रतिबंधित मद है, के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड जो अत्चुतापुरम, विशाखापट्टनम में एपीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, एपीएसईजेड ने सूचित किया कि फेरो मैगनीज स्लैग के प्रस्तावित आयात पर कोई डीटीए प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा यूनिट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त की है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए मैसर्स अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। तथापि, यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि कोई डीटीए लेनदेन नहीं होगा। विकास आयुक्त पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की शर्तों / दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का सुनिश्चय करेंगे।

मद संख्या 51.16 : एलओपी में प्रोसेस्ड मेटल स्क्रैप जैसे कि टिटेनियम, निकेल, टंगस्टन, मोलिबडेनिम और कोबाल्ड स्क्रैप को शामिल करने के लिए मैसर्स डीआरके मेटालर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रसंस्कृत विशेष मेटल स्क्रैप जैसे कि टिटेनियम, निकेल, टंगस्टन, मोलिबडेनियम तथा कोबाल्ट स्क्रैप को बैकवर्ड एकीकरण के रूप में शामिल करने के लिए

एलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स डीआरके मेटालर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। तथापि, यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि प्रतिबंधित / निषिद्ध मदों के संबंध में कोई डीटीए लेनदेन नहीं होगा तथा गतिविधि केवल प्रथक्करण तक सीमित नहीं होगी। विकासक आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार आवेदक द्वारा सभी आवश्यक विनियामक अनुमोदनों का सुनिश्चय किया जाएगा।

मद संख्या 51.17 : ग्राम निमेटा, तालुक वघोडिया, जिला वडोदरा, गुजरात में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स चेर्विल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स निपियम इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड) को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को जारी रखना / वैधता अवधि बढ़ाना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि ग्राम निमेटा, तालुक वघोडिया, जिला वडोदरा, गुजरात में 220 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स निपियम इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड (एनआईपीएल) को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 से समाप्त हो गई है। विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड को अवगत कराया कि जिस भूमि पर एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव है उस पर विकासक का कब्जा नहीं है। अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि भूमि पर स्पष्ट स्वामित्व औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की पूर्वापेक्षा है। इस प्रकार उपर्युक्त एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अपने आप निरस्त हो गई है। इसलिए उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने पर विचार न करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 51.18 : अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुरोध

ओवर डाइमेंशनल कार्गो (ओडीसी) के मूवमेंट के लिए नए क्षेत्र में अतिरिक्त प्रवेश / निकास द्वार के अनुमोदन के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ओवर डायमेंशनल कार्गो (ओडीसी) के मूवमेंट के लिए केएएसईजेड में अतिरिक्त प्रवेश / निकास द्वार स्थापित करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 51.19 : डिजास्टर रिकवरी साइट की स्थापना के लिए अनुरोध

(i) एसईजेड के क्षेत्र में किसी आपदा की स्थिति में डिजास्टर रिकवरी साइट स्थापित करने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो डीएलएफ इनफो सिटी एसईजेड, चेन्नई की यूनिट है, का अनुरोध

(ii) एसईजेड के क्षेत्र में किसी आपदा की स्थिति में एसटीपीआई लोकेशन, बंगलौर में डिजास्टर रिकवरी साइट स्थापित करने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो यूनिट 1 इनफोस्पेस एसईजेड, कोलकाता की यूनिट है, का अनुरोध

(iii) एसईजेड के क्षेत्र में किसी आपदा की स्थिति में डिजास्टर रिकवरी साइट स्थापित करने के लिए मैसर्स असेंचर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अनुमोदन के लिए अनुरोध में विभिन्न माडल शामिल हैं। अनुमोदन बोर्ड ने इच्छा व्यक्त की कि विकास आयुक्त तथा संयुक्त सचिव (एसईजेड) मामले की जांच करें ताकि कोई स्वीकार्य दिशानिर्देश तैयार किया जा सके जिससे इन अनुरोधों का निस्तारण संभव हो सके और विनियामक सरोकारों का भी समाधान हो सके।

मद संख्या 51.20 : नाम में परिवर्तन / इक्विटी के अंतरण के लिए अनुरोध

(i) नाम बदलकर मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड करने के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) ने बस अपना नाम बदलकर मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड कर लिया है और कंपनी की शेयर होल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने निम्नलिखित एसईजेड में जहां यह विकासक है, नाम बदलकर मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड करने के लिए एमपीएसईजेडएल के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

क्र. सं.	क्षेत्र	स्थिति	क्षेत्र
1.	बहु उत्पाद	अधिसूचित	6472.8684 हेक्टेयर
2.	बहु उत्पाद	औपचारिक रूप से अनुमोदित	1840 हेक्टेयर
3.	एफटीडब्ल्यूजेड	औपचारिक रूप से अनुमोदित	168.41 हेक्टेयर

(ii) नाम बदलकर मैसर्स डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स पेरोट सिस्टम टीएसआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि सह विकासक मैसर्स पेरोट सिस्टम टीएसआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बस अपना नाम बदलकर मैसर्स डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर लिया है और कंपनी की शेयर होल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(iii) नाम बदलकर मैसर्स असेंडास आईटी एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स असेंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि सह विकासक मैसर्स असेंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड को मैसर्स असेंडास लैंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एएलआई) के साथ महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड (एमडब्ल्यूसीडीएल) के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित किया गया जिसमें एमडब्ल्यूसीडीएल 26 प्रतिशत इक्विटी का धारक है। 11 फरवरी 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में एएलआई को अपनी 26 प्रतिशत इक्विटी का विनेवश करने के लिए एमडब्ल्यूसीडीएल को मंजूरी प्रदान की गई जिससे सह विकासक संस्था में 100 प्रतिशत इक्विटी का धारक बनने के लिए एएलआई के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। परिणामत: सह विकासक ने कंपनी का नाम बदलकर मैसर्स असेंडास आईटी एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि अनुरोध में कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन शामिल नहीं है। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने नाम बदलकर मैसर्स असेंडास आईटी एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए सह विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iv) नाम बदलकर मैसर्स इंसपिरा इनफ्रा (औरंगाबाद) लिमिटेड करने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड ने बस अपना नाम बदलकर मैसर्स इंसपिरा इनफ्रा (औरंगाबाद) लिमिटेड कर लिया है और कंपनी की शेयर होल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने निम्नलिखित एसईजेड में जहां यह विकासक है, नाम बदलकर मैसर्स इंसपिरा इनफ्रा (औरंगाबाद) लिमिटेड करने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

क्र. सं.	सेक्टर / लोकेशन	अधिसूचना की तिथि	क्षेत्रफल
1.	शेंद्रे, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा (मूलत: जैव प्रौद्योगिकी)	5.082008	10 हेक्टेयर

2.	शेंद्रे, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फर्मास्युटिकल एसईजेड	22 अक्टूबर, 2008	100 हेक्टेयर

(v) कंपनी के डिमर्जर जिससे तीन कंपनियों का जन्म होगा, तथा एक डिमर्ज कंपनी को अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि औपचारिक अनुमोदन के हस्तांतरण का प्रस्ताव 2011 की याचिका संख्या 504, 505 और 506 में माननीय बांबे उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2011 के अनुसार है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अनुमोदन बोर्ड ने डिमर्जर के फलस्वरूप मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की, जो एसईजेड के विकासक के रूप में उनको प्रतिस्थापित करेगा। हालाँकि, यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(क) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ख) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(ग) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(घ) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेंगे जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे। नोट किया गया कि ऐसे मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(vi) मैसर्स एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक्सटीएसआई) को अपनी शेयर होल्डिंग का 100 प्रतिशत अंतरित करने के लिए सह विकासक मैसर्स कैंब्रिज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीबीपीएल) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि सह विकासक (जो एक्सचेंजिंग ग्रुप की कंपनी है) ने अब एक्सचेंजिंग ग्रुप के साथ आंतरिक पुनर्गठन के अंग के रूप में मैसर्स एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक्सचेंजिग ग्रुप कंपनी भी) को अपनी 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग अंतरित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। सीबीडीटी के प्रतिनिधि की यह राय थी कि पिछले बीओए के निर्णय के अनुसार उनको प्रदान की गई सूचना पर्याप्त नहीं है इसलिए प्रस्तावित

लेनदेन से उत्पन्न कर देयता की बेहतर जांच के लिए लेनदेन से पहले और लेनदेन के बाद कंपनी के तुलन पत्र की आवश्यकता है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

(क) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ख) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सह विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(ग) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(घ) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेंगे जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे। नोट किया गया कि ऐसे मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा। इसके अलावा लेनदेन से पहले और लेनदेन के बाद का तुलन पत्र विकास आयुक्त के माध्यम से सीबीडीटी को उपलब्ध कराया जाएगा।

मद संख्या 51.21 : प्रसंस्करण क्षेत्र में आईसी सुविधा स्थापित करने के लिए उनके अनुरोध के विरुद्ध गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स बेसिक्स एकेडेमी फॉर बिल्डिंग लाइफलांग एंप्लायबिलिटी (बी-एबल) को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने अधिकृत प्रचालनों के अंग के रूप में प्रसंस्करण क्षेत्र में सुविधाओं के विकास में काफी व्यय किया है और यह कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सुविधाओं को रिलोकेट करने से विकासक पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को प्रस्तावित डीटीए एवं एसईजेड लेनदेन की प्रकृति की जांच करने तथा मामले के उपयुक्त समाधान पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निदेश दिया। तदनुसार मामले को आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 51.22: अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स सन एरोमेटिक्स की अपील

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की बात सुनी गई। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता फर्म एसईजेड में प्रस्तावित व्यवसाय परियोजना के लिए विशिष्ट कानूनी संस्था है तथा केवल इस कारण से एसईजेड

यूनिट के अधिकार से वंचित करना अनुचित है कि प्रमोटरों में से एक को दूसरे मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके बारे में बोर्ड को सूचित किया गया है यह क्रियाशील है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को स्वीकार कर लिया और विकास आयुक्त, एनएसईजेड को एनएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अपीलकर्ता के आवेदन पर पुनर्विचार करने का निदेश दिया।

(ii) अधिकृत प्रचालन के लिए अपेक्षित विशिष्ट सेवाओं के तहत "अचल संपत्ति की रेंटिंग" सेवा को शामिल करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की बात सुनी गई। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि किराए पर लिया गया परिसर एसईजेड के बाहर स्थित है। **विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।**

(iii) चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी को निरस्त किए जाने के विरुद्ध मैसर्स जीवन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की बात सुनी गई। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने आवेदक को सुनवाई का पुन: अवसर प्रदान करने तथा लागू दंड सहित सभी शर्तों के निर्वहन का प्रदर्शन करने के लिए मामले को वापस यूनिट अनुमोदन समिति के पास भेज दिया।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 51.23 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) 10.924 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम रंगवासा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 10.924 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम रंगवासा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इम्पेटस इनफोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यद्यपि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश की गई है परंतु इस समय भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। चूंकि नीति के रूप में अनुमोदन बोर्ड 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता वाले एसईजेड को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान नहीं कर रहा है इसलिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया।

(iii) 11.03 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम टुबाराहल्ली एवं सिद्धपुरा, वर्थुर होबली, बंगलौर पूर्व तालुक, बेंगलुरू, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस समय भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। कर्नाटक सरकार ने भी सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। चूंकि नीति के रूप में अनुमोदन बोर्ड 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता वाले एसईजेड को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान नहीं कर रहा है इसलिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 51.24 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) ग्राम अटिप्रा, तालुक एवं जिला तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स - केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स वर्टस आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 50.2 सेंट के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने तथा आईटी सेक्टर के उद्योग के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स खेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंज़ूरी प्रदान की।

(ii) मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 57.56 हेक्टेयर (0.93 एकड़) के क्षेत्रफल में पूर्ण आईटी इनक्यूबेशन सेंटर एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स वर्टस आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंज़ूरी प्रदान की।

मद संख्या 51.25 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

ग्राम बूर्गुंट, सरजापुर एवं बिल्लापुर, तालुक अनेकल, जिला बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 24.446 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पहले से अधिसूचित एसईजेड में 78.082 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 102.528 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने के अधीन है।

मद संख्या 51.26 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु में 1182.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स ट्रैक टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 26 फरवरी, 2012 के बाद एक साल की अवधि के लिए अर्थात 26 फरवरी, 2013 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 51.27 : प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) जो दाहेज एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने तथा यह सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया कि यूनिट गैर अनुमोदित संरचनाओं के निर्माण में प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी लाभों, यदि कोई हो, को वापस करें।"

मद संख्या 51.28 : समवत निर्यात के रूप में घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) को एसईजेड यूनिटों से कैश डिस्पेंसर मशीन (सीडीएम) की बिक्री की अर्हता के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध

राजस्व विभाग ने यह कहते हुए मद को आस्थगित करने का अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे पर टीआरयू की टिप्पणियां / राय प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर चुके हैं तथा चूंकि टीआरयू बजट बनाने के कार्य में व्यस्त है इसलिए वे आम बजट प्रस्तुत होने से पूर्व अपनी टिप्पणियां प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। तद्नुसार मद को आस्थगित कर दिया गया और राजस्व विभाग से 20 मार्च 2012 तक अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

मद संख्या 51.29 : जिला अमरेली, गुजरात में मैसर्स ई-काम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग माल के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में ओवर डायमेंशनल कार्गो (ओडीसी) के मूवमेंट के लिए अतिरिक्त प्रवेश / निकास द्वार स्थापित करने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ओवर डायमेंशनल कार्गो (ओडीसी) के मूवमेंट के लिए उपर्युक्त एसईजेड में एक अतिरिक्त प्रवेश / निकास द्वार स्थापित करने के अनुरोध को मंज़ूरी प्रदान की।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हो गई।

****

अनुबंध 1

वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 13 मार्च, 2012 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1. डा. राहुल खुल्लर, बीओए अध्यक्ष एवं सचिव, वाणिज्य विभाग
2. श्रीमती रुचिरा पंत, महानिदेशक (डीजी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
3. श्री रमन चोपड़ा, निदेशक (आईटीए), सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
4. श्री प्रदीप मेहरोत्रा, सीआईटी (आईटीए), सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय।
5. श्री विवेक रंजन, अतिरिक्त निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
6. सुश्री एच के प्रसाद, अपर निदेशक (निर्यात संवर्धन), डीजीईपी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
7. डॉ एल बी सिंघल, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशक
8. सुश्री शारदा जैन, संयुक्त सचिव और विधायी वकील, कानून और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
9. श्री एस सिंह, सचिव, एआईएडीए
10. श्री दिनेश पहाड़िया, डिप्टी जीएम, रीको, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान
11. श्री मंजूनाथ गोंडा, रेजिडेंट डायरेक्टर, कर्नाटक उद्योग मित्र कर्नाटक भवन - 3, खेलगाँव मार्ग, नई दिल्ली
12. श्री यू के एस चौहान, रेजिडेंट आयुक्त, केरल सरकार, नई दिल्ली
13. डॉ टी प्रधान, संयुक्त रेजिडेंट कमिश्नर, ओडिशा सरकार
14. श्री एस.डी शर्मा, अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, उत्तराखंड सरकार
15. श्री ओ पी कपूर, संयुक्त महानिदेशक, ईपीसीईएस
16. श्री पी.के दास, प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश व्यापार एवं निवेश सुविधा निगम, भोपाल, मध्य प्रदेश
17. श्री आर.के सिन्हा, उप निदेशक, कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय, भवन भवन।
18. श्री आर.सी डाहरा, अतिरिक्त निदेशक उद्योग, उद्योग विभाग, हरियाणा सरकार
19. श्री सुभाष शर्मा, ओएसडी, सीएसआईडीसी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ सरकार
20. श्री ए के अग्रवाल, अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली
21. श्री टी ए खान, (आरओ), टीसीपीओ, शहरी विकास मंत्रालय, ई-ब्लॉक, विकास बाण, नई दिल्ली
22. श्री आर. डी. मीणा, अनुसंधान सहायक, टीसीपीओ, शहरी विकास मंत्रालय
23. श्री बी भट्टाचार्य, एसआईओ, डीजीईपी, राजस्व विभाग
24. श्री ए एस दास, सलाहकार, आईडीसीओ, उड़ीसा सरकार

विकास आयुक्तों की सूची

25. श्री एम एस राव, विकास आयुक्त, वीएसईजेड, विशाखापत्तनम और सीएसईजेड प्रभारी
26. श्री संजीव नंदवानी, विकास आयुक्त, फाल्टा, कोलकाता
27. श्री विजय एन शेवाले, विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड, सूरत
28. श्री प्रवीर कुमार, विकास आयुक्त, केएएसईजेड और दहेज सेज
29. श्री महेंद्र जैन, विकास आयुक्त, एनएमएसईजेड और इंडियाबुल्स एसईजेड
30. श्री एस किशोर, विकास आयुक्त, एपीईजेड
31. श्री के एल शर्मा, विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड, गुजरात
32. श्री वेद प्रकाश, विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड
33. श्री अनिल बंबा, विकास आयुक्त, सेरिकिटी एसईजेड
34. श्री सीपीएस बख्शी, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड, उत्तर प्रदेश
35. श्री एस एन पाटिल, संयुक्त विकास आयुक्त, दहेज एसईजेड
36. श्री बी पटनाइक, संयुक्त विकास आयुक्त मुंद्रा एसईजेड और केएसईजेड
37. श्री ए के पुजारी, डीजीएफटी, श्री ए के राठौर, संयुक्त विकास आयुक्त, आईएसईजेड, इंदौर, मध्य प्रदेश
38. श्री पी एस रमन, उप विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड

वाणिज्य विभाग के प्रतिभागियों की सूची

39. श्री अनूप वधावन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
40. श्री संजीत सिंह, निदेशक, वाणिज्य विभाग
41. श्री आर के पांडे, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
42. श्री कविराज साबर, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
43. श्री अचिंत कुमार, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग
44. श्री आर के दत्ता, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग